

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 16-2-17

संख्या-21/लोक-02/2016, 1816..... बिहार के राज्यपाल ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) की धारा-4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष के पद पर श्री श्याम किशोर शर्मा को नियुक्त किया है।

इन्होंने दिनांक-14.02.2017 को 10:00 बजे (पूर्वाह्न) में अपने पद की शपथ ली है तथा पद ग्रहण किया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/लोक-02/2016, 1816..... पटना-15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपि :- राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, 5-कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/श्री श्याम किशोर शर्मा, बिहार लोकायुक्त के अध्यक्ष, वर्तमान पता-305, कुमार शांति इनक्लेव, परमानंद पथ, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना-1को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/लोक-02/2016, 1816..... पटना-15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/लोक-02/2016, 1816..... पटना-15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। प्रकाशन के उपरांत गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

अनु.- सी.डी.।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-21/लोक-02/2016, 1816..... पटना-15, दिनांक 16-2-17

प्रतिलिपि :- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।